**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**राज्य सभा**

अ**तारांकित प्रश्न संख्या-83**

**जिसका उत्तर** 24 नवंबर**, 2014 को दिया जाना है ।**

**एनटीपीसी द्वारा बकाया धनराशि की वसूली**

**83. श्री अविनाश राय खन्नाः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एनटीपीसी ने यह कहा है कि वह उन वितरण कंपनियों को विद्युत आपूर्ति करना रोक देगी जो अपनी बकाया धनराशि अदा करने में विफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी विद्युत वितरण कंपनियों/राज्य विद्युत बोर्डों का ब्यौरा क्या है तथा एनटीपीसी को कुल कितनी बकाया धनराशि देय है; और

(ग) विद्युत वितरण कंपनियों/राज्य विद्युत बोर्डों से बकाया धनराशि की वसूली के लिए एनटीपीसी द्वारा कौन-कौन से तरीके अपनाए गए हैं?

**उत्तर**

**विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) :** बकाया देय धन राशि के भुगतान की अदायगी नहीं करने की स्थिति में, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग(सीईआरसी) विनियम, 2010 में यह व्यवस्था की गई है कि उत्पादन कंपनी वितरण कंपनी को विद्युत आपूर्ति नियंत्रित/बंद कर सकती है। वितरण कंपनियों द्वारा बकायों के भुगतान की अदायगी नहीं करने की स्थिति में, इन विनियमों के अनुसार समय-समय पर कार्रवाईयां की जाती हैं ।

**(ख) :** आज की तारीख तक, एनटीपीसी को विद्युत वितरण कंपनियों/राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) द्वारा कोई बकाया राशि देय नहीं है।

**(ग) :** एनटीपीसी द्वारा लाभ ग्राहियों/राज्य सरकारों के विभिन्न स्तरों पर भुगतान के मामले में सख्ती से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। लाभ ग्राहियों द्वारा भुगतान न किए जाने/अदायगी नहीं किए जाने के मामले में सीईआरसी के विनियमों के अनुसार विद्युत आपूर्ति का नियंत्रण किया जाता है।

\*\*\*\*\*\*\*\*